(c) the increase in expenditure as a result thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). Necessary orders, already issued, are in the process of implementation as indicated in the statement placed on the Table of the Sabha.

(c) About Rs. 19 crores per annum.

Statement

Subject of the Tribunal's recommendation	Present position as regards implementation
1. Hours of employment shall be those during which an employee is at the disposal of his employer at the latter's instance. 2. Normally the daily and weekly hours of employment of Continuous and Essentially Intermittent workers should be fixed at 8 a day or 48 a week. 3. Daily and weekly hours of Essentially Intermittent workers may be increased to the extent necessary but not exceeding the limits laid down by the Tribunal 4. Time required for preparatory and/or complementary work, which includes taking and making over charge should be determined and included in the roster.	Orders have been issued that these recommendations should be implemented with effect from 1-8-74.
5. Averaging should be done in regard to (*i*) running staff; (*ii*) operating staff; (*iii*) shift workers; and (*iv*) those workers whose work is bound up with the work of workers comprised in the above three categories. Cases falling in category (*iv*) should be determined. 6. Overtime should be paid at 1½ times the ordinary rate for work done beyond rostered hours up to statutory limits and twice the ordinary rate beyond the statutory limits. 7. Time spent for travelling spare on duty should be considered as part of duty except (*i*) when crew van facility has been provided and (*ii*) when the worker does not travel on any day beyond 8 Kms.	These are in the process of implementation.
8. Class 'C' Gatemen, Saloon Attendants, Caretakers of Rest Houses and Reservoirs etc. and Bungalow Peons should be reclassified as Essentially Intermittent workers. (implementation date 1-8-74) 9. Posts of Continuous Wireless Operators and Section Controllers should be job-analysed and up-graded as Intensive wherever justified, giving effect to the up gradation from 1-8-73 and 1-8-74 respectively.	These recommendations have been generally implemented on railways.

पेट्रो-रसायन के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायतें

*431. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रो-रसायन के मूल्यों में वृद्धि होने तथा उनकी किस्म में गिरावट आने के बारे में शिकायतों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार को पी० वी० सी० रेसिन तथा पोलिस्ट्रीन के मूल्यों में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं। तथापि किस्म में गिरावट होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) उत्पादकों को इन वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के सम्बन्ध में लिखा गया है। देश में पी वी सी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 2500 मी० टन पी वी सी का घटी सीमा शुल्क दर पर आयात करने का प्रबन्ध किया है। कमियों को दुबारा होने की सम्भावना होने पर और अधिक आयात किया जा सकता है। बाजार में अधिक उपलब्धता के कारण मूल्यों में गिरावट आने की सम्भावना है।

पश्चिम रेलवे में जिला मुख्यालयों के लिए आउट एजेन्सियां

*434. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कौन-कौन से ऐसे जिला मुख्यालय हैं जहां पश्चिम रेलवे की आउट एजेन्सियां नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार वहां शीघ्र ही आउट एजेन्सियां स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां तो कब ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) राजस्थान के निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में पश्चिम रेलवे की कोई आउट एजेंसी नहीं है :—

1. अजमेर 2. अलवर 3. भरतपुर 4. भीलवाडा 5. चित्तोड़गढ़ 6. चुरू 7. डूंगरपुर 8. झुंझुनू 9. सवाई माधोपु 10. सीकर 11. सिरोही 12. सुजात रोड 13. टौंक 14. उदयपुर

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आउट एजेंसियों की व्यवस्था रेलहैड से दूरस्थ स्थलों पर की जाती है। उपर्युक्त सभी जिला मुख्यालयों (टौंक को छोड़कर) में ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां व्यापारियों और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाए सुलभ हैं। टौंक स्थित आउट एजेंसी अक्तूबर, 1974 में बन्द कर दी गयी थी और इसे पुन: खोला नहीं जा सका क्योंकि इसके लिए कोई उपर्युक्त ठेकेदार नहीं मिला।

जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

*435. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबे की खानें होने से जबलपुर से गोंदिया तक की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया गया है।

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या गोंदिया से चन्द्रपुर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है और इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). जबलपुर—गोंदिया छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिपोर्टों